संख्या–361/आपदा प्रबन्धन/2004

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2004

विषयः– जनपद देहरादून में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु वर्ष 2002–03 में धनावंटन के संबन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प.सं.–मैमो/तेरह–आपदा–04 दिनांक 31.03.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष 2002–03 में शासनादेश संख्या– 152/आ.प्र./2003 दिनांक 30.3.2003 द्वारा जनपद देहरादून में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त ग्राम शंकरपुर, हकुमतपुर में क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण के मरम्मत कार्यो हेतु रू0 67.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जो अभी अवशेष है। उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 30.3.2003 द्वारा उक्त कार्यो के लिए स्वीकृति को निरस्त करते हुये उनके स्थान पर स्वीकृत धनराशि को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त "माल देवता के मार्ग की मरम्मत एवं पैदल झूला पूल के पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कार्यो" हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 37.18 लाख के आगणन के विपरीत टी.ए.सी. द्वारा परिक्षणोंपरान्त संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रू0 36,25,000/– (छत्तीस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– इस शासनादेश द्वारा कोई नई धनराशि स्वीकृति नहीं दी जा रही है, वरन् उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 30.3.2003 द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि से ही उक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

3– स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ व्यय/आहरित की जायेगीः–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण को सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य की जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचालित दरों/ विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो का सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभिन्यता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमैन्ट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0 अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई हैं। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय इस का पूर्ण उत्तरदायित्व निमार्ण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित

GO Tehri

है। संलग्न सूची में भी यदि कोई कार्य नया हो उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जायेगा, और इसके लिये स्वीकृत धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

7— कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8— दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

4— पूर्व शासनादेश दिनांक 30.3.2003 में उल्लिखित अन्य शर्ते/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5— उक्त समस्त कार्यो को कराये जाते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6— स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय शासनादेश पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दी जायेगी।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या— 392/वित्त अनुभाग—3/2004 दिनांक 27.05.2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक— यथोक्त

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
4. वित्त अनु.— 3, उत्तरांचल शासन।
5. धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
6. गार्ड फाइल।
7. वरिष्ठ प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल।
8. माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव।

(सोहन लाल)
अपर सचिव

GO Tehri